कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकः 3868 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर,फरवरी 13, 2020

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।
(ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Irrig/20269/2016)

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सषक्त समिति(आर.ई.सी.)की बैठक दिनांक–26.11.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आईटम 42.5.यू.पी.)
2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./425 दिनांक– 28.11.2019
3–आपका पत्र संख्या– 1085/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 लखनऊ दिनांक– 29.11.2019
4–विषेष सचिव, उत्तर प्रदेष शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखऊ का पत्र संख्या– भा0स0–166/81–2–2019–800(118)/2017 लखनऊ दिनांक– 17.12.2019
5–आपका पत्र संख्या– 1220/11–सी–एफ0पी0/यू.पी./Irrig /20269/2016 दिनांक–19.12.2019

महोदय,

विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की बैठक दिनांक 26.11.2019 की कार्यवाही के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक28.11.2019 एवं उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र दिनांक 17.12.2019 मे उल्लिखित बिन्दु की आख्या तीन प्रतियो मे संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्राक–2812/रेनुकूट/15–117 दिनांक 07.02.2020 (छायाप्रति संलग्न) है। द्वारा उल्लिखित बिन्दु की आख्या टेबुलर फार्म में निम्नप्रकार संस्तुति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित किया गया है।

क्र0सं0	क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की दिनांक–26.11.2019 के क्रम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी निर्देशो में अंकित विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The test check of KML files of degraded forest areas proposed for Compensatory afforestation reveals some discrepancies which must be sorted out after detailed analysis to ensure that total areas suitable for plantation does not fall below the total requirement of 1295 hectare.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग में 800 हे0 अवनत वन भूमि एवं पूर्व में हुई 666 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण में पुनः Enrichment वनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा ओबरा वन प्रभाग में 495 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित किया गया है ।

		चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण की दृष्टि से पूर्णतया उपयुक्त है जिसके संबंध में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है । प्रकरण में 1295 हे0 क्षेत्रफल पर शत प्रतिशत वनीकरण कार्य पूर्ण किया जायेगा ।
2	The submission of CAT Plan is a part of diversion of forest land for Kanhar Irrigation Project sanctioned much earlier and it requires approval of the ministry which should be taken up separately by the State Government .	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक– 03.02.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि," कनहर सिचाई परियोजना का CAT Plan राज्य सरकार से अनुमति हेतु प्रक्रिया पृथक रूप से की जा रही है "
3	"प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानो के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वन भूमि के प्रकरणो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–वी0आइ0ईपी0– 23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनांक– 28 जून, 2019 में विहित प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित समतुल्य गैर वन भूमि 160.7608 की जॉच शासनादेश दिनांक– 28 जून 2019 के अनुपालन में राजस्व विभाग एवं वन विभाग के सक्षम स्तर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि समतुल्य गैर वन भूमि 160.7608 हे0 निर्विवादित रूप से गैर वन भूमि है जिससे संबंधित ग्रामवार/गाटावार विवरण जो राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी दुद्धी, तहसीलदार दुद्धी एवं प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट व प्रस्तावक विभाग द्वारा सत्यापित है एवं उप जिलाधिकारी दुद्धी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्नकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति सहित प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3868 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 13/02
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर